

57 - वकील वाकी उपस्थित नहीं। वादी स्वयं भी  
उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति का कारण कोई कारण  
भी पेश नहीं हुआ। बार-बार आवाज लगावाई गई।

आतः यह वाद-पत्र अदम पेशी अदम हाफरी में  
स्वारिज किया जाता है।

पत्रावली निजिय में शुमार की जाकर  
नम्बर से काम हो तथा तरीख तकमिल होकर दारियल  
वाफर है।